

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी कमुं वार्ड विपक्षी मांगीलाल
 किस्म मुकदमा 016 पत्रावली संख्या 16/18 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

20/3/25
 वकूलाय वादी / प्रतिवादी उप. वा. कायान
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतः वा. कायान
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/4/25
 को पेश हो।


 SDO, मावली

28/4/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 16/6/25 को पेश हो।
 B10
 2

16/6/25
 वकूलाय वादी / प्रतिवादी उप. वा. कायान
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतः
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 18/8/25
 को पेश हो।


 (SDO) मावली



18/8/25

पन्नावली पेरा हुई। अधिवक्ता वादीयाँ मय स्वयं वादीया अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीयाँ मय स्वयं वादीयाँ को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया अब तक अनुपस्थित हैं। पन्नावली के अवलोकन से पुकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। अधिवक्ता वादीया को लगभग 6 वर्ष का समय दिये जाने पर भी वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीयाँ अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं। आज भी स्वयं वादीया एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया अनुपस्थित रहने पर वादीया का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पन्नावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कसबदार
(फास्ट ट्रेक) न्यायालय